न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 20/2021

1 श्रवण कुमार उम्र 50 वर्ष पुत्र महावीर प्रसाद जाति नाई निवासी मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी शाह मार्केट स्टेशन रोड़ झुन्झुनूं जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 मो. आरीफ पुत्र श्री हाजी यासीन जाति व्यापारी मुसलमान निवासी मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.) जरिये मुख्तयार आम युनुस पुत्र मोहम्मद आरीफ जाति व्यापारी निवासी मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
2 हर खास व आम
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी महोदय चिड़ावा मुकदमा उनवानी मो. आरीफ बनाम हर खास व आम मुकदमा नं. 184/2017 दावा बाबत घोषणात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जहीर मोहम्मद फारूखी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.1.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 184/2017 में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने ग्राम मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा की भूमि गत खसरा नम्बर 140 हाल खसरा नम्बर 383, 384 की खातेदारी की उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादवादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी/रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने स्वीकार किया कि उक्त भूमि पोकर पुत्र गणपत, श्योबक्स, मुंगा, महावीर, मोहन, सांवला, गाडिया पुत्रगण दयाला की खातेदारी की भूमि थी तथा महावीर का एक मात्र पुत्र श्रवणकुमार था। श्रवण अपीलार्थी है जिसको मृतक होना कथन करके दावा पेश किया। श्रवण को उक्त भूमि का काबिज व मालिक स्वीकार कर रखा है तथा वादी ने जरिये इकरारनामा भूमि की खरीद करना बताया है जरिये इकरारनामा विक्रय द्वारा राजस्व न्यायालय खातेदारी अधिकार नहीं दे सकता। जब अपीलार्थी को उक्त मुकदमें की जानकारी हुई तब अपीलार्थी ने आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया जिसकी जबाब देही में वादी ने स्वीकार किया कि वादी को श्रवणकुमार की जानकारी नहीं होने के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

कारण श्रवणकुमार को पक्षकार नहीं बनाया अदालत मातहत ने उक्त तथ्य कोर्ट के सामने आने के बावजुद भी अपीलार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 16.02.2021 को खारिज कर दिया। अपीलार्थी महावीर का पुत्र है वाद में वर्णित भूमि का जरिये उतराधिकारी खातेदार काश्तकार है अपीलार्थी की भूमि बाबत अपीलार्थी को सुनवायी का अवसर दिये बिना निर्णय व डिक्री पारित की है। उक्त निर्णय व डिक्री अस्तित्व में रहने से अपीलार्थी गम्भीर रूप से प्रभावित होता है अपीलार्थी अपनी पैत्रिक खातेदारी की भूमि से वंचित हो रहा इसलिये अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार की हैसियत से उक्त निर्णय व डिक्री की अपील पेश कर रहा है दफा 96 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश कर रहा है अपीलार्थी को अपील पेश किये जाने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित है। अदालत मातहत ने इकरारनामा विक्रय के आधार पर अपीलार्थी को सुनवायी का अवसर दिये बिना खातेदारी अधिकार दिये है जो काबिले निरस्त है। इकरारनामा विक्रय के आधार पर राजस्व न्यायालय को खातेदारी अधिकार देने का अधिकार नहीं है। अदालत मातहत के समक्ष वादी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं हुआ है तथा बतौर वादी मुख्तयार साक्ष्य नहीं दे सकता है। अदालत मातहत हर खास व आम को पक्षकार बनाया गया है परन्तु उसकी तामिल का कोई इन्द्राज नहीं है अपने निर्णय व डिक्री में फर्द मौका को निर्णय व डिक्री का आधार बनाया है जबकि फर्द मौका में ऐसा कोई तथ्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में विवादित भूमि को अपीलांट श्रवण द्वारा 1996 में इकरारनामें द्वारा सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय कर दिया था। 1996 के पूर्व से ही अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है। इसकी पुष्टि पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से होती है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा आदेश 01 नियम 10 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा यह आवेदन खारिज किया गया। विचारण न्यायालय के इस आदेश को अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का आवेदन धारा 96 स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित एवं राजस्व रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अपीलांट राजस्व जमाबंदी में खातेदार दर्ज था। विचारण न्यायालय ने खातेदार को पक्षकार संयोजित किये बिना, विधि अनुसार सुनवाई किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.02.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.1.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर